2014/0007

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

## पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45 / 2014 (अपील)

उनवान

मोहनी बाई पत्नी बाबू लाल पुत्री प्रभु लाल जाति ब्रा0 निवासी ग्राम मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. शिव प्रसाद पुत्र स्व0 जगन्नाथ
2. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 जगन्नाथ
3. अनुसूईया पुत्री स्व0 जगन्नाथ
4. प्रभात पुत्री स्व0 जगन्नाथ
5. गुलाब बाई बेवा स्व0 जगन्नाथ जाति ब्राह्मण निवासीगण मोराना तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवास पुष्पा पब्लिक स्कूल के पास, 851, हनुमान नगर दादाबाडी कोटा
6. ग्राम पंचायत झाडगांव पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झाडगांव

(रेस्पोडेण्टस)

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल विजय (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री तेजमल जैन, श्री पारस चन्द जैन (अभिभाषक रेस्पो0 )

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी ग्राम पंचायत झाडगांव पं0 सं0 सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 21.01.2013 नामान्तरकरण सं0 360**

निर्णय दिनांक : 29.11.2019

1. अपीलाण्ट की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत झाडगांव पं0 सं0 सुल्तानुपर के आदेश दिनांक 21.01.2013 नामान्तरकरण सं0 360 की अप्रसन्नता से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आराजी खसरा नं0 101,113,126,417,456,476 गत कुल 6 किता रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा ग्राम मोराना मे अपीलांटा की माता कल्याणी बेवा स्व0 प्रभुलाल ब्रा0 नि0 मोराना के खाते दर्ज थी जो सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 122,139,140,143,144,414,534,569.723 दर्ज हुए जिसका रकबा कुल 5.25 हैक्टर दर्ज किया गया और कल्याणी बाई के स्थान पर प्रभुलाल की पुत्री मोहनी बाई पुत्री प्रभुलाल दर्ज हुआ । उक्त आराजी के सम्बन्ध मे रेस्पो0 के पिता स्व0 जगन्नाथ जी ने एक वाद धारा 53,88, का ए.सी.एम के यहां प्रस्तुत किया तदुपरान्त उपखण्ड अधिकारी दीगोद मे जेरकार रहा । उक्त मुकदमा दिनांक 28.10.2005 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया था किन्तु इससे पूर्व 04.12.85 को एक प्रारम्भिक डिक्री एक पक्षीय वादी जगन्नाथ द्वारा प्राप्त करली गयी थी, जिसके विरूद्व मामला विचाराधीन है और मा0 राज0 उच्च न्यायालय मे उसमे स्थगन आदेश जारी किया हुआ है । इस प्रकार गुपचुप तरीके से अदम हाजरी व पैरवी मे वाद खारिज होने के बाद बिना सूचना दिये और बिना नोटिस दिये हुये अपीलांटा के विरूद्व एक पक्षीय रूप से फाईनल डिक्री पारित करा ली गई जिसके विरूद्व भी

मामला राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है, जिसमे भी ताफैसला स्थगन आदेश राजस्व मण्डल से जारी किया हुआ है । इन तथ्यों को छिपाते हुये बिना अपीलांटा को बुलाए हुए तथा बिना सूचित किये हुये गुपचुप तरीके से बिना धारा 133 ले0रे0 एक्ट के प्रावधानो की पालना किये हुये जो नामा0 तस्दीक किया गया है वह कानून के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । जगन्नाथ जी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही था, क्योकि वह बाल्यावस्था मे ही मन्ना जी के यहां मांगरोल गोद चले गये थे और इस बाबत एक नामा0 सं0 715 दि0 07.06.45 को तहसील मांगरोल द्वारा नारायणी बाई बेवा मन्ना के प्रा0 पत्र पर मन्ना जी की मृत्यु के बाद मन्ना जी के लडके के रूप मे जगन्नाथ के नाम दर्ज हुआ था । इस प्रकार जगन्नाथ बाल्यावस्था मे ही मन्ना के यहां गोद चले गये थे तो उन्हे धारा 12 हिन्दु एडोप्शन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मन्ना की समस्त जायदाद मे बहेसियत पुत्र अधिकार प्राप्त हा चुके है । इसलिये उनका उक्त आराजी मे किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नही है ।अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा चूंकि इन्तकाल अपीलांटा की अनुपस्थिति मे गुपचुप रूप से खोला गया है इसलिये अपीलांटा को उक्त नामा0 बाबत कभी कोई जानकारी नही हुई । अपीलान्टा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0एक्ट प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि इन्तकाल के संबंध मे सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर दिनांक 20.03.2014 को हुई जिस पर उसी दिन इन्तकाल की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की गई । अतः इन्तकाल की तिथि 21.01.2013 से जानकारी तिथि 20.04.14 तथा नकल प्राप्ति व पैसो के इन्तजाम मे लगा समय कन्डोन फरमाते हुए जानकारी की तिथि 20.3.14 से अपील अवधि मध्य स्वीकार की जावे । अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 360 दिनांक 21.01.13 ग्राम पंचायत झाडगांव निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

2. अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. रेस्पो0 नं0 2 व वकील अपीलान्टा द्वारा प्रा0 पत्र राजीनामा दि0 11.10.2019 को प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये कि हम पक्षकारो के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है और रेस्पो0 नं0 2 द्वारा मूल वाद ही वापस ले लिया गया है, इसलिये उसके आधार पर खोला गया इन्तकाल भी निरस्त करने मे रेस्पो0 नं0 2 को कोई आपत्ति नही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 360 दि0 21.1.13 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4. वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 360 दि0 21.1.13 निरस्त करने का निवेदन किया गया
5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने भी वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन करते हुए जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है । अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 360 दि0 21.1.13 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2012 नामान्तरकरण सं0 360 के विरूद्व प्रस्तुत की गई अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट मे देरी से अपील प्रस्तुत करने के जो कारण उल्लेखित किये है वे विश्वसनीय एवं सन्तोष जनक होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लि0 एक्ट स्वीकार की जाकर विलम्ब की अवधि क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए डिले अवधि कन्डोन करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते है । अपीलान्ट द्वारा जगन्नाथ का भूमि से किसी प्रकार का संबंध नही होना तथा पूर्व मे भूमि

मोहनी की खातेदारी मे होना तत्पश्चात कल्याणी की खातेदारी मे होना, जगन्नाथ के गोद जाने से वादग्रस्त आराजी मे कोई अधिकार नही होना, उसके द्वारा राजस्व न्यायालय मे वाद दायर करना तथा अपीलांटा के विरूद्व एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री व फाईनल डिक्री प्राप्त करना अपील मे बताया है । मा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 05.01.2006 मे अंकित विवादग्रस्त आराजी की मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत दि0 20.11.2006 को आदेश पारित किया है । जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 के अनुसार पूर्व मे वादग्रस्त आराजी कल्याणी की खातेदारी मे दर्ज थी । भू प्रबन्ध विभाग के खसरा परिशोधन पत्र अनुसार उक्त भूमि मोहनी बाई के नाम दर्ज करने के आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी बारां जिला कोटा द्वारा दिनांक 04.8.81 को दिये गये है ।

पक्षकारान के मध्य नियमित वाद राजस्व न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमें उनके अधिकार तय होगे । रेस्पो0 ने राजीनामे मे नियमित वाद वापस लेना बताया है तथा नामा0 सं0 360 को निरस्त करने मे कोई आपत्ति नही की गई है । परन्तु चूंकि प्रश्नगत नामा0 सं0 360 जगन्नाथ के फौत होने पर उसके वारिसान के हक मे दर्ज किया गया है । इसमे कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है । राजस्व रिकार्ड मे अंकन विचाराधीन नियमित वाद के निर्णयानुसार ही होना संभव है ।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

( नरेन्द्र गुप्ता )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा